



**OFFICE OF THE PRINCIPAL, GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE,
BILASPUR (C.G.) 495 009**

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

Phone: 07752-260289, Email:- principalgecbilaspur@gmail.com , Website:- www.gecbsp.ac.in

कर्मांक / रथा-2/2023/

/ बिलासपुर, दिनांक

-ः आ दे श :-

शैक्षणिक सात्र 2022-23 के लिये चयनित अवधियों को विभागाध्यक्ष की अनुशासा के आधार पर अंशकालीन व्याख्याता के तीर पर राम रोमेश्टर सात्र की चालापि तक के लिए छत्तीसगढ़ शारान द्वारा जारी रोटाप के तहत रास्था में रिक्त पद के विरुद्ध निम्न शर्तों के साथ अवधार्ष रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	नाम	गौबाहल नं.	विभाग	रिपार्क
01	डॉ. दिविंगा शिंहा	9689776626	शिविल/पाइनिंग	
02	प्रवेश पाल	8260369904	ई.टी.एच.टी.	

रातों:-

1. छत्तीसगढ़ शारान कौशल विकास तकनीकी शिक्षा, एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानगरी भवन, नया रायपुर अटल नगर, के पत्र कर्मांक/एफ 1-6/2022/तक.शि./42/नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02.12.2022 के परिपालन में पारिश्रमिक रूपये 800/- (कपाए आठ रुपये) प्रति फीशियल, जिसकी अधिकतम् रीता रूपये 56100/- (कपाए छप्पन हजार एक रुपये) प्रतिमाह देय होगी एवं शैक्षणिक अवधि तक उपरिथित रहना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त आदेश के पारिश्रमिक को छोड़कर शासकीय रोवा में नियमितिकरण, वरिष्ठता, उच्च वैतनमान् आदि किसी भी प्रकार की न तो मांग और न ही किसी भी न्यायालय में दावा पेश करेंगे।
3. अंशकालीन व्याख्याता की रोवाएं आवश्यकता न होने की दशा में किसी भी रामय अथवा अन्य आदेश जारी होने की विधियों में रखगेव रामात्मा हो जावेगी।
4. उपरोक्त आदेश की निर्गमन की तिथि से दरा दिवस के अन्दर अपना पदभार ग्रहण न करने पर या लगातार सात दिवस अनुपरिथित रहने की दशा में आपकी रोवाएं रखगेव रामात्मा मानी जावेगी तथा जिस दिन कक्षाएं होंगी उस दिन महाविद्यालयीन शिक्षण रामय 10:30 बजे से 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपरिथित रहेंगे।
5. अंशकालीन व्याख्याता अपना पारिश्रमिक देयक, माह के तीन तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा शाखा में जमा करेंगे।
6. शैक्षणिक गुणविधियाँ, प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित करना होगा।
7. आगुक्ता-साह-सायिव, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ के पत्र कर्मांक पी.ए./तक.शि./2015/708 दिनांक 11.12.2016 के संदर्भ में उपरोक्त आदेश की अवधि में किसी भी प्रकार का पूर्ण कालीन अव्ययन कर रहे अव्यर्थी इस पद के लिए अपात्र होंगे, अतएव ऐसे अव्यर्थी इस पद पर कार्यभार ग्रहण न करें।
8. महाविद्यालय में आयोजित होने वाली रामी प्रकार की परीक्षाओं में आवश्यकता अनुशासन दीनता दशानि पर गह रोवा तत्काल रामात्मा की जावेगी।
9. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के आदेशों का पालन न करने पर व किसी भी प्रकार की अनुशासन हीनता दशानि पर गह रोवा तत्काल रामात्मा की जावेगी।


**प्राचार्य,
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
बिलासपुर छ.ग.**

पृष्ठां०क०/स्था-२/२०२३/ ५५२

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

बिलासपुर, दिनांक:- १०।३।२०२३

१. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, ब्लाक-तीन, तृतीय एवं चतुर्थ तल अटल नगर रायपुर छ०ग०।
२. विभागाध्यक्ष, सिविल/माइनिंग एवं ई.टी.एण्ड टी. इंजीनियरिंग, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. इस अभियुक्ति सहित कि वे चयनित अम्यर्थीयों को समय सीमा में पदभार ग्रहण करने हेतु उनके मोबाईल पर सूचित करना सुनिश्चित करें।
३. प्रभारी अधिकारी, अंशकालीन व्याख्याता, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर छ०ग०।
४. लेखापाल/देयक लिपिक, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर छ०ग०।
५. सूचना पटल, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर छ०ग०।
६. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

✓ वेबराईट प्रति।

प्राचार्य,
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
बिलासपुर छ.ग. १०।३।२३